प्र. सं. 08/2022 Online No. 2222/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

मांगीदेवी वगैराह बनाम कमलेश वगैराह

23.11.2022 पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से अधिवक्ता प्रताप तेली उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता पृथ्वीराज चौधरी उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता ने कथन किया कि वादी द्वारा प्रकरण को अन्य न्यायालय में अन्तरण हेतु धारा 235 का प्रार्थना पत्र माननीय जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा को प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा द्वारा दिनांक 14.10.2022 निस्तारित कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा को निर्देशित किया गया कि प्रकरण में शीघ्र सुनवाई कर निस्तारण करे, इसकी प्रतिलिपी वादी को देते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया। वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि आज सीनियर अधिवक्ता बाहर है, अगली बार उपस्थित होने पर बहस करने हेतु समय चाहा गया है। वादी अधिवक्ता को कई बार समय दिया जा चुका है। न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया जाता है। अन्यथा एक तरफा बहस सुनकर निर्णय पारित किया जावेगा। प्रकरण वास्ते बहस हेतु दिनांक 30.11.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

30/11/22 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष ✓
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त /अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 19/12/22 को पेश हो।

आदेश से रीडर

19/12/22 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता वादी बहस नहीं करना चाहते है। पत्रावली में विगत पेशी मे अन्तिम अवसर दिया जा चुका है। प्रतिवादी वकील द्वारा कथन किया कि वादी ने पूर्व में प्रकरण को अन्य न्यायालय में अन्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका निस्तारण माननीय जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा द्वारा पूर्व में निस्तारण कर प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया एवं वादी को भी सूचित किया गया जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। वादी उक्त प्रकरण को लम्बा करने की गरज से पत्रावली में बार-बार तथ्यहीन प्रार्थना पत्र पेश कर पेशी बदलवाने आदि का कृत्य कर रहा है। साथ ही वादी अधिवक्ता को पूर्व मे भी कई बार अवसर दिये जा चुके है। प्रकरण में प्रतिवादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी०पी०सी० व धारा 151 सी०पी०सी० पर सुनी गई। जिसमें बताया कि वादग्रस्त आराजी गैर रजिस्टर्ड पत्र से है एवं इसी गैर रजिस्टर्ड पत्र होने से सिविल कोर्ट मे वाद विचाराधीन है। अतः प्रतिवादी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी०पी०सी० का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र खारीज किया जाता है। निर्णय संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी,डा0 पूजा सक्सेना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 08/2022 रा0वा0

उनवान

1. मांगी पत्नी मोहन तेली निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
2. शांता पिता मोहन तेली पत्नी शंभु तेली हाल निवासी तेलीखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. शोभा पिता मोहन तेली हाल निवासी महेशपुरा तहसील व जिला भीलवाडा पति रतन तेली निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
4. सूडी पिता मोहन तेली हाल निवासी तेलीखेडा पत्नी रतन तेली निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
5. अलोल पत्नी मदन तेली निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
6. नारायण पिता मदन तेली निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
7. राजकुमार पिता मदन तेली निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
8. सत्यनारायण पिता मदन तेली निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
9. दुर्गा पिता मदन तेली पत्नी मीठू तेली निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
10. विमला पिता मदन तेली पत्नी मीठू तेली निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।

—वादीगण

बनाम

1. कमलेश पत्नी हरिनारायण शर्मा निवासी भीलवाडा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
3. उपपंजीयक पंजीयन कायालय प्रथम व द्वितीय भीलवाडा।

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89, 92(क) 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 पर निर्णय हेतु।

उपस्थितः

1— श्री श्यामलाल गुर्जर अधिवक्ता वादीगण

2— श्री पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01

:: निर्णय ::

दिनांक 19.12.2022

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 का प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उक्त अनवान का प्रकरण आप न्यायालय के समक्ष जैर कार्यवाही होकर वादपत्र में पेश तथाकथित दस्तावेज बेचाननामा दिनांकित 22.6.1986 अंपजीकृत दस्तावेज है, कानूनन दस्तावेज के आधार पर प्रकरण राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का नही है। तथाकथित दस्तावेज बेचाननामा है, दस्तावेज की प्लीडिंग के आधार पर उक्त तथाकथित दस्तावेज बेचाननामा नही है, एवं कानूनन किसी भी तरह का अन्तरण दस्तावेजात नही है। वादग्रसत आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में विक्रयपत्र प्रतिफल 2,000/— रूपये में निष्पादित कर दिनांक 22.06.1981 को पंजीयन कराया है, जिसका राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे नामान्तरणकरण दर्ज हो चुका है, कानूनन प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में वादीगण किसी प्रकार की राहत पाने का अधिकारी नही है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कराने का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय का है। जिससे वादपत्र पोषणीय नही होने से खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांकित 22.6.1981 को निष्पादित हो चुका है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। वादी की और से प्रस्तुत फर्जी, कूटरचित दस्तावेज विक्रय विलेख दिनांकित 27.6.1986 है। जिससे प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध बिनायवाद दिसम्बर 2021 को उत्पन्न होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। बिनाय वाद के अभाव में वादी का वादपत्र पोषणीय नही होकर खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

फरमाया जाकर वादीगण का वादपत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के तहत सव्यय खारीज कराया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

वादीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 का जवाब प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया कि वादीगण ने वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय विलेख दिनांक 22.6.1986 अपंजीकृत दस्तावेज होने से प्रकरण राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार में नही है प्रतिवादी का यह कथन असत्य व निराधार है वादग्रस्त आराजी का भू भाग कृषिमय भूमि है जिसके लिए नियमित राजस्व वाद सुनवाई का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। प्रतिवादी ने तथाकथित दस्तावेज को बेचाननामा नही होने का उल्लेख किया है जबकि उक्त दस्तावेज जो स्वंय प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा दो साक्ष्य के समक्ष निष्पादित किया गया है, अपजीकृत दस्तावेज जो दिनांक 22.6.1986 को प्रतिवादी संख्या 01 की और से निष्पादित किया गया पूर्ण रूप से वैधानिक है, पंजीकृत दस्तावेज राजस्व न्यायालय स्तर से निरस्त नही हो सकता है किन्तु शुन्य प्रभावी घोषित किया जा सकता है। प्रतिवादी की और से प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 सव्यय खारीज कराया जाये।

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 एवं इस प्रार्थना पत्र के वादीगण के जवाब का अध्ययन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन् किया गया। वादीगण ने वादग्रस्त ग्राम बिलियाखुर्द प0ह0 हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 645 रकबा 0.011 बीघा क्षैत्रफल 0.1391 हैक्टेयर भूमि जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या 645 रकबा 0.1391 हैक्टेयर खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 कमलेश पत्नि हरिनारायण शर्मा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। विक्रय विलेख अपंजीकृत दिनांक 22.06.1986 की पालना एवं निरस्त किये जाने विक्रय पत्र दिनांक 19.01.2022 के संबंध में वादीगण ने वादग्रस्त आराजियात के संबंध में प्रकरण माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश भीलवाडा में दिनांक 22.7.2022 को प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण एवं वरिष्ठ सिविल न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में समान पक्षकार एवं समान विषय विवादित आराजियात का होने से किसी प्रकार का अनुतोष वादीगण को राजस्व न्यायालय द्वारा नही दिया जा सकता है। वादीगण द्वारा केवल मात्र अनरजिस्टर्ड दस्तावेज की फोटो प्रति पेश कर खातेदार कृषक की घोषणा चाही गई है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त दस्तावेज अनरजिस्टर्ड होने से खातेदार कृषक घोषित किया जाना सम्भव नही है। अतः वादीगण का वादपत्र अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर होकर विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है, प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 का स्वीकार कर वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतःएवं

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 का स्वीकार कर वादीगण का वादपत्र अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर होने से एवं वादपत्र में समान विषय एवं सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में समान पक्षकार एवं समान ही विवादित आराजियात होने से वादीगण का वादपत्र विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा